उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लि0
राजर्षि पुरूषोत्तम दास टण्डन पर्यटन भवन
सी–13, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
फोन नं0. 0522–2307074, ई–मेल md@upstdc.co.in
website:-upstdc.co.in

ई–निविदा सूचना

सी0–13, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित महर्षि पुरूषोत्तम दास टण्डन, पर्यटन भवन एवं परिसर की साफ–सफाई कार्यों हेतु अनुभवी एवं जी0एस0टी0 मे पंजीकृत फर्मो/ठेकेदारों से ई–टेण्डर पोर्टल पर दिनांक 06.09.2024 के अपराहन 02.00 बजे तक निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा सम्बन्धी नियम एवं शर्ते तथा निविदा प्रपत्र ई–टेण्डर पोर्टल पर उपलब्ध है। ई–पोर्टल पर प्राप्त निविदाओं को दिनांक 06.09.2024 को सांय 04.00 बजे उपस्थित निविदादाओं के समक्ष समिति द्वारा खोली जायेगी। एक अथवा समस्त निविदायें बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा।

प्रबन्ध निदेशक

उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, सी–13, विपिन खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।

निविदा–प्रपत्र
पार्ट–1 (टेक्निकल बिड)

(पर्यटन निगम की नियमित साफ–सफाई सेवा हेतु)

1–निविदादाता फर्म/कम्पनी का नाम ----------------

2–स्थाईपता ।--

3–पत्राचार का पता---------------------------------------

4– फोन/मोबाईल नम्बर ---------------------------------

5– पैन नम्बर (आयकर सम्बन्धी) --------------------------

6– जी0एस0टी0 नम्बर ----------------------

7– श्रम विभाग पंजीकरण संख्या --------------------------

8– ई0पी0एफ0 नम्बर --------------------------

9– ई0एस0आई0 रजिस्ट्रेशन नम्बर ----------------------

10– कुल अनुभव---------------------------------

<u>निविदाता का शपथ –पत्र</u>

1– मेर द्वारा जेम पोर्टल प्रपत्रों पार्ट–1 (टेक्निकल बिड)/पार्ट 2 फाईनेशियल विड) का भलीभॉति अध्यन कर लिया गया है। मेरे द्वारा जो भी सूचना दी गई है/संलग्न की गई है, वे सभी सत्य हैं। प्रबन्ध निदेशक उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास नि0 लि0 यदि आवश्यक समझें तो सम्बन्धित व्यक्तियों/सस्थाओं से इन सूचनाओं एवं तथ्यों की जॉच करा सकता है। मुझे इसमें काई आपत्ति नही है । मैं उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 के सभी नियमों एवं शर्तो का पालन करने का वचन देता हूॅ/देते हैं, हमे इस बात की पूरी जानकारी है कि प्रबन्ध निदेशक उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 को सभी निविदाओं (ठेका)को अथवा किसी एक निविदा(ठेके) को स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार है। हमें यह भी ज्ञात है कि प्रबन्ध निदेशक उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 ही निविदा (ठेके) के सम्बन्ध में इससे जुड़े विवाद के विषय में निर्णय के लिये अन्तिम प्राधिकारी होंगे। तद्नुसार मेरे द्वारा पार्ट–1 (टेक्निकल बिड)/पार्ट 2 फाईनेशियल विड) की निविदाएॅ पृथक–पृथक ई–टेन्डर पर अलग–अलग समबिट करना होगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

निविदादाता का पूरा नाम

पूरे पते के साथ निविदादाता की मुहर

उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लि0
सी–13 विपिन खण्ड,गोमतीनगर,लखनऊ ।

पार्ट–1 (टेक्निकल बिड)

पार्ट–1 (टेक्निकल बिड) के साथ निविदादाता का शपथ–पत्र तथा निविदा की प्रशासनिक शर्तें हस्ताक्षर एवं फर्म की सील सहित संलग्न किया जाना आवश्यक **हैं।**

क0 सं0	**तकनीकी योग्यता की अर्हता**	**अर्हता पूर्ण/अपूर्ण**	**यदि हाँ तो क्या प्रमाण–पत्रसंलग्न है**
1	किसी सरकारी/अर्धसरकारी संस्थान/ निगम में कम से कम तीन वर्षो (2021–22,2022–23,2023–24) का सफाई कार्य का अनुभव (सम्बन्धित सरकारी संस्थानों का सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत वर्षानुवर्ष प्रमाण पत्र संलग्न किया जाये सफाई कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य का अनुभव मान्य नहीं होगा)		
2	फर्म वर्तमान में कम से कम तीन सरकारी/अर्ध सरकारी संस्थान/निगम में कार्य कर रही हो तथा प्रत्येक अनुबन्ध का मूल्य कम से कम रू0–10.00 लाख प्रतिवर्ष होना चाहिये।		
3	फर्म का विगत 03 वर्ष (2021–22 ,2022–23,2023–24) में मिलाकर साफ–सफाई कार्य का टर्नओवर रू0–20.00 लाख प्रतिवर्ष या अधिक रहा हो (सम्बन्धित संस्थान के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र एवं वित्तीय भुगतान का विवरण संलग्न किया जायेसाथ ही उपरोक्त 03 वर्षो की आडीटेड बैलेन्शीट की छायाप्रति संलग्न किया जाना अनिवार्य है।)		
4	फर्म जी0एस0टी0, ई0पी0एफ0, ई0एस0आई0 अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्टर्ड होनी चाहिये। (सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य है।)		
5	विगत 03 वर्ष (2021–22,2022–23,2023–24) में फर्म द्वारा जमा किये गये आयकर रिटर्न की छायाप्रति संलग्न होनी चाहिये।		
6	निविदादाता द्वारा कार्ययोजना (workplan) संलग्न किया जाना चाहिये।		

	(कार्ययोजना (workplan) में न्यूनतम मानव शक्ति, मशीने, जो कि Deploy की जानी है, का स्पष्ट उल्लेख किया जाय) क------मैन पावर की संख्या ख–मशीनो की संख्या एवं प्रकार		
7	निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्रों के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर किया जाना अनिवार्य होगा।		
8	निविदा के साथ रू0–50,000/– की धरोहर राशि (डिमाण्ड ड्रॉफ्ट के रूप में) में जमा किया जाना होगा। जो **(उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ)** के पक्ष में देय होगा।		
9	इस आशय का नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र कि फर्म/कम्पनी कभी ब्लैक लिस्ट नही हुई है एवं न ही कोई पुलिस केस या जॉच उनके विरूद्ध लम्बित है।		
10	विगत 03 वर्ष (2021–22,2022–23,2023–24)से लगातार कार्य किया गया हो उस संस्था के सक्षम अधिकारी द्वारा संतोषजनक कार्य करने का प्रमाण पत्र		

नोटः–

1. असफल निविदाताओं को धरोहर राशि 30 दिन के अन्दर वापस कर दी जायेगी।
2. टेक्निकल बिड (पार्ट–1) एवं फाइनेन्शियल बिड (पार्ट–2) ई– टेन्डर पर अलग–अलग सबमिट करना होगा।
3. पार्ट–2 (फाईनेन्शियल बिड) की निविदा तभी खोली जायेगी जब निविदादाता द्वारा पार्ट–1, (टेक्निकल बिड) द्वारा निर्धारित मानकों को पूर्ण कर रही हो।
4. निविदा पार्ट–1 एवं पार्ट–2 की किसी भी शर्तो को निगम हित में शिथिल करने या निरस्त करने का अधिकार प्रबन्ध निदेशक के पास सुरक्षित होगा।
5. क्रम सं0–01 से 10 पर उल्लेखित शर्तो को पूरा न किये जाने, वर्कप्लान संतोषजनक न पाये जाने की स्थित में निविदा तकनीकी रूप से असफल मानी जायेगी।
6. अनुबन्ध की अन्य शर्ते इस पृष्ठ के पार्श्व भाग में दी गयी है। निविदादाता फर्म को सलाह दी जाती है, कि उन शर्तो का पढ़कर स्वीकारोपरान्त निविदा प्रपत्र पर हस्ताक्षर करें।

निविदादाता के हस्ताक्षर :–

निविदादाता का नाम :–

पते के साथ निविदादाता की मुहर :–

<u>पर्यटन भवन एवं परिसर की साफ–सफाई कार्यों हेतु निर्धारित नियम एवं शर्तें</u>

सी–13, विपिन खण्ड, गोमतीनगर लखनऊ में पर्यटन भवन एवं परिसर की साफ–सफाई (अनुलग्नक–ए के अनुसार) के कार्यो में न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव रखने वाले फर्मो से जेम पोर्टल पर आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र रू0–1180.00 (रू0–एक हजार एक सौ अस्सी मात्र) जी0एस0टी0 सहित का बैंक ड्रॉफट जो यू0पी0एस0टी0डी0 लखनऊ के पक्ष मे देय हो की फोटो प्रति निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

1 निविदादाता द्वारा तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड पृथक–पृथक अपलोड की जायेगी, अतः उससे सम्बन्धित सभी अभिलेख एवं धरोहर एवं टेण्डर फार्म की धनराशि भी अपलोड करते हुए उपरोक्त समस्त अभिलेख मूल रूप में दिनांक ———————— के अपरान्ह 2.00 बजे तक तृतीय तल पर्यटन भवन, सी–13, विपिन खण्ड गोमतीनगर, लखनऊ में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

2 निविदादाता का साफ–सफाई से सम्बन्धित कार्यों का विगत तीन वर्षो मे (2021–22–2022–23–2023–2024) प्रतिवर्ष टर्नओवर न्यूनतम रू0–20.00 लाख होना अनिवार्य है। तकनीकी बिड के साथ विगत तीन वर्षो के टर्नओवर की आडिटेड बैलेन्सशीट संलग्न करना अनिवार्य हैं उक्त के अतिरिक्त विगत तीन वर्ष में फर्म द्वारा जमा किये गये आयकर रिटर्न की छायाप्रति संलग्न की जायेगी। तकनीकी बिड पार्ट–1 में विवरण के अनुसार समस्त सूचनाओं का उल्लेख करते हुये ई0टेण्डर पोर्टल पर स्कैन कॉपी संलग्न करना अनिवार्य होगा।

3. तकनीकी बिड के साथ निविदादाता को रू0 50000.00 (रूपया पचास हजार मात्र) का डिमान्ड ड्राफट यू0पी0एस0टी0डी0सी0 लि0, के पक्ष में धरोहर धनराशि के रूप में संलग्न करना अनिवार्य होगा। निविदा स्वीकृत होने की दशा में निविदादाता की धरोहर धनराशि उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 के पास निविदा समाप्त होने की अवधि तक जमा रहेगी जिसपर किसी भी प्रकार का व्याज आदि निविदादाता को देय नही होगा।

4. निविदा में ऑमत्रित स्वीकृत की गई न्यूनतम दरें प्रारम्भ में एक वर्ष तक प्रभावी होगी, यदि ठेकेदार का कार्य सन्तोषजनक पाया जाता है, तो उक्त अवधि को आगामी एक वर्ष हेतु आपसी सहमति की आधार पर बढ़ाई जा सकेगी।

5. पर्यटन निगम में समय–समय पर गठित सचल दलों द्वारा यदि साफ–सफाई का कार्य सन्तोषजनक नही पाया जाता है तो प्रथमतः फर्म को चेतावनी निर्गत की जायेगी, तथा यदि इसकी पुनरावृत्ति पुनः पाई जाती है तो ठेकेदार के बीजकों से रू0 10000.00 (रूपया दस हजार मात्र) कटौती करते हुए कारण बताओं नोटिस जारी किया जायेगा। उत्तर संतोषजनक न पाये जाने की दशा में फर्म के प्रत्येक बीजकों से रू0–10000.00 (रू0–दस हजार मात्र) अर्थ दण्ड के रूप मुं कटौती की जायेगी तथा ठेकेदार से किये गये अनुबन्ध को निरस्त कर दिया जायेगा ।

6 .निविदादाता समस्त श्रम कानूनों यथा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, Payment of Wages Act इत्यादि का पालन करने हेतु बाध्य होगा। नियोजित श्रमिकों को साप्ताहिक अवकाश एवं राष्ट्रीय अवकाश उपलब्ध कराना होगा। सेवा प्रदाता एजेन्सी द्वारा पर्यटन निगम से चार्ज किये जा रहे जी0एस0टी0 तथा अन्य करों से सम्बन्धित चालान की अभिप्रमाणित छायाप्रति अगले माह के देयक के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। समस्त नियम एवं कानूनों का पालन करना ठेकेदार का दायित्व होगा। उलंघन की दशा में होने वाली किसी भी प्रकार की विधिक अथवा अन्य कार्यवाही के लिये निगम उत्तरदायी नहीं होगा।

7.साफ–सफाई कार्यो में लगे मजदूर के साथ कोई आकस्मिक दुर्घटना घटित होने की दशा में या किसी भी अन्य तरह की आर्थिक क्षतिपूर्ति या कानूनी दावों के खर्चे आदि के भुगतान की जिम्मेदारी एक मात्र सम्बन्धित निविदादाता की होगी।

8.स्वयं निविदादाता द्वारा अथवा साफ–सफाई का कार्य कर रहे मजदूरों से पर्यटन निगम को कोई भी नुकसान या क्षति होने पर, उसकी भरपाई पर्यटन निगम द्वारा ऑकलन के अनुसार निविदादाता को देय भुगतान की रकम से कटौती कर, की जायेगी।

9. निविदादाता को ठेके कार्य के निष्पादन हेतु योजित किये गये श्रमिकों को यूनीफार्म एवं पहचान–पत्र जारी करना होगा। ठेकेदार द्वारा पर्याप्त मात्रा में श्रम शक्ति योजित करनी होगी, ताकि वह अपने निविदा में निहित कार्य को कुशलता पूर्वक कर सके। नियोजित व्यक्तियों का विवरण पर्यटन निगम को उपलब्ध कराने हेतु निविदादाता बाध्य होगा।

10. निविदादाता द्वारा साफ–सफाई कार्य में आने वाले समस्त उपकरण व स्वचालित उपकरणों की सूची एवं उपलब्धता का प्रमाण–पत्र निविदा के साथ प्रस्तुत की जायेगी, जिसमें आटोमेटिक स्क्रैबर, ड्रायर, कोल्ड वाटर, हाई प्रेशर वाशर, मल्टीपल प्लोर केयर मशीन, वेट एण्ड ड्राई वैक्यूम क्लीनर शामिल होगा। उक्त उपकरणों की उपलब्धता हेतु निविदा के समय निरीक्षण किया जा सकता है।साफ सफाई कार्यो में इसका प्रयोग समय–समय पर किया जायेगा, तथा इस हेतु पृथक से कोई भुगतान देय नही होगा।

11.निविदादाता को नोटरी द्वारा प्रमाणित इस आशय का शपथ–पत्र देना होगा कि उसकी कम्पनी/फर्म कभी ब्लैक लिस्ट नही की गई है।

12. निविदादाता साफ–सफाई कार्य हेतु योजित किये गये समस्त कार्मिकों को उचित यूनिफार्म स्वयं के व्यय पर उपलब्ध कराये जायेंगे, योजित कर्मचारी साफ–सफाई कार्यो को पर्यटन निगम द्वारा निर्धारित यूनिफार्म पहन कर किया जायेगा।

13. कार्य के दौरान यदि कोई यदि कोई टूट फूट होगी तो उसकी वसूली ठेकेदार के बीजकों से की जायेगी।

14.परिसर में डम्प कूड़ा प्रतिदिन अवश्य उठाना होगा। कूड़े को पर्यटन भवन के बाहर लेजाने के लिये ठेकेदार को अपनी ट्रेक्टर ट्राली अथवा अन्य वाहन लाना अनिवार्य होगा।

15. टायलेट या सीवर लाईन चोक होने पर उसको क्लीयर करने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। उक्त के अतिरिक्त बरामदे, फर्श, सीढ़ियाँ एवं शौचालयों आदि स्थानों (वित्तीय विड में अंकित विवरण के अनुसार)की धुलाई के पश्चात फिनायल से पोछा लगाना अनिवार्य होगा,।

16. यदि कोई साफ–सफाई कार्य विवरण में दिये गये किसी कार्य को फर्म द्वारा पूर्ण नही किया जाता है या सुचारू रूप से नही किया जाता है, ऐसी स्थिति में पर्यटन निगम द्वारा उसका ऑकलन करने के पश्चात यथोचित धनराशि की कटौती ठेकेदार के बीजकों से की जायेगी।

17. यदि साफ–सफाई कार्य सन्तोषजनक नही पाया जाता है तो निविदादाता को निगम प्रबन्ध द्वारा एक माह का नोटिस देते हुए अनुबन्ध समाप्त कर दिया जायेगा।

18. निविदादाता द्वारा साफ–सफाई कार्य में प्रयोग होने वाली सामग्री जैसे, फिनायल, उच्च कोटि का रसायन, विम, नैपथलिन की गौलिया, ब्रश, झाडू पौछा आडोनिल आदि आपूर्ति अपने सफाई कार्मिकों को अपनी व्यय पर की जायेगी। इस हेतु किसी प्रकार का अग्रिम निविदादाता को देय नही होगा।

19. सफल निविदादाता को साफ–सफाई एवं हाउसकीपिंग कार्यो के सम्पादन हेतु पानी एवं विजली की आपूर्ति निःशुल्क उपलब्ध कराई जायेगी और इसका कोई मूल्य फर्म द्वारा भुगतान नही किया जायेगा ।

20.सफल निविदादाता ऐसे किसी जी0एस0टी0 या अन्य कोई देय टैक्स,शुल्क आदि जो प्रभावी हो, को भुगतान करने हेतु स्वयं उत्तरदायी होगा।

21. किसी भी निविदा को स्वीकार करने का सर्वाधिकार प्रबन्ध निदेशक उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम में सन्निहित रहेगा। किसी एक निविदा को अथवा समस्त निविदाओं को बिना किारण

22. ठेके के सम्बन्ध में कोई भी वाद–विवाद पैदा होने की दशा में न्यायिक क्षेत्र सिर्फ लखनऊ नगर की सीमा तक ही सीमित रहेगा।

23. सफल निविदादाता द्वारा नियोजित मजदूरों की मजदूरी और बहाली से सम्बन्धित कोई भी विवाद किसी भी न्यायालय मं उठाता है, तो पर्यटन निगम द्वारा वहन किए जाने वाले समस्त कानूनी खर्चो की देनदारी एकमात्र ठेकेदार की होगी और इस व्यय की धनराशि को ठेकेदार को देय भुगतान से कटौती कर वसूल की जायेगी।

24. सफल निविदादाता द्वारा यदि साफ–सफाई का कार्य स्वीकृतादेश निर्गत होने के 07 दिनों के अन्दर प्रारम्भ नही किया जाता है अथवा ठेके का कार्य पर्यटन निगम की आवश्यकता के अनुरूप संतोषजनक नही किया जाता है तो ऐसी स्थिति में पर्यटन निगम द्वारा आंकलित क्षति/हानि की धनराशि की भरपाई ठेकेदार की धरोहर राशि अथवा ठेकेदार को देय भुगतान से कटौती कर ली जाएगी साथ ही ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।

25. निविदा स्वीकृति होने के उपरान्त सफल रहे निविदादाता/ठेकेदार की निविदा–दरें स्वीकृत हो जाने के उपरान्त फर्म को अपने उन अधिकृत प्रतिनिधि (सफाई सुपरवाईजर) के नाम, पता व मोबाईल नम्बर उपलब्ध करायेंगे, जो पर्यटन निगम के प्रबन्धक के दिशा निर्देश में साफ–सफाई का कार्य सम्पन्न करवाने के लिये जिम्मेदार होंगे।

26. फर्म सेवाकर, ई0पी0एफ0, ई0एस0आइ0 अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्टर्ड होनी चाहियें (सम्बन्धित प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य है)

27. निविदादाताओं द्वारा कार्ययोजना (workplan) संलग्न किया जाना होगा। कार्ययोजना (workplan) में न्यूनतम मानव शक्ति, मशीने, जो कि deploy की जानी है, का स्पस्ट उल्लेख किया जाये।

क– मैन पावर की संख्या कम से कम 06 अदद

ख– मशीनो की संख्या एवं प्रकार

28. निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्रों की प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा। ?

29. निविदादाता, निविदा अभिलेखों में उद्घृत सभी शर्तो एवं विशेष विवरणों को मानने के लिये बाध्य होगा।

30. किसी भी दशा में आफ लाईन टेन्डर स्वीकार नही किया जायेगा।

31. पर्यटन भवन के बेसमेन्ट में स्थित प्रेक्षागृहों की साफ–सफाई, कारपेट एवं कुर्सियों की प्रत्येक माह शैम्पूइंग एवं वैक्सीनेटिंग करना अनिवार्य होगा। कार्यक्रम के दौरान एक सफाई कर्मी अवश्य मौजूद रहेगा।

32. छत की साफ–सफाई प्रत्येक माह में एक बार तथा बरसात के मौसम में माह में 15 जून से माह सितम्बर तक दो बार की जायेगी।

33. कामन ऐरिया की साफ–सफाई प्रतिदिन 02 बार (एक बार प्रातः पुनः दूसरी बार अपराहन मे) फ्लोर स्कबिंग मशीन द्वारा की जायेगी।

34. निविदादाता द्वारा ई–टेन्डर से सम्बन्धित अधिक जानकारी के लिये मोबाईल नम्बर 8005488477 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

प्रबन्धक नजारत